



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 22.11.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ आपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 02 मामलों में कुल 08 अभियुक्तों को 16000/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण –पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 02 मामलों में कुल 08 अभियुक्तों को 16000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग- 56/03 धारा 379/411/504 भादवि के 07 अभियुक्तों 1-चुनवदिया पुत्र किशन, 2-श्यामलाल पुत्र मोतीलाल, 3-रामदयाल पुत्र किशन, 4-दुर्विजय पुत्र मोतीलाल, 5-बिहारी लाल पुत्र जागेश्वर, 6-गौरीशंकर पुत्र रघुराज व रामरतन पुत्र मोतीलाल निवासीगण थाना बिसण्डा जनपद बांदा को जुर्म स्वीकार करने पर कुल **14000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।
2. थाना बिसण्डा पर पंजीकृत अभियोग (एनसीआर)- Nil/03 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्त रामचन्द्र पुत्र रामऔतार निवासी चौसड़ थाना बिसण्डा जनपद बांदा को जुर्म स्वीकार करने पर **2000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया ।